

first case in the annals of this country where they upheld the liberty and freedom of the individual. Therefore, so far as the Supreme Court is concerned, let us not bring about politics in this matter.

Coming now to the present Bill, I can share the anxiety of the mover of this Bill. He anticipates some difficulty so far as filing of writs is concerned. As Mr. Bhandare rightly drew the attention of the House, even assuming on merits this particular decision of the Supreme Court is going to bring about hardship

MR. DEPUTY SPEAKER : You can continue your speech on the next day. Now we may take up the half-an-hour discussion.

18 hrs.

HALF AN-HOUR DISCUSSION
MANAGEMENT OF BENNET COLEMAN
AND CO.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : (हाफ़ुड़) : उपाध्यक्ष जी, वेनेट कोलमेन कम्पनी से सम्बंधित जिस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ कर रहा हूँ वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि समाजवाद के भ्रलभवरदार पूजीपतियों की जेब में किस तरह से जा कर पड़ जाते हैं। समाचार-पत्रों को उद्योग मान कर भारत में चलने वाली यह वेनेट कोलमेन कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है जिस के माध्यम से लगभग 17 पत्र इस देश में चल रहे हैं। दो बार ऐसे प्रसंग आए जब सरकार की कोपर्टि इस कंपनी के ऊपर हुई। एक तो तब जब आचार्य कृपलानी और श्री कृष्णा मेनन का चुनाव हुआ उस समय इस के पत्रों ने विशेषकर टाइम्स आफ इंडिया ने श्री कृपलानी जी का समर्थन किया तो तत्कालीन प्रधान मंत्री का कोप-भाजन इन समाचार पत्रों को बनना पड़ा। दूसरा एक प्रसंग तब आया जब श्री टी० टी० कृष्णमचारी के संबंध में बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चागला ने ग्रपता निर्णय

दिया। उस के बाद श्री टी० टी० कृष्णमचारी का भी कोप-भाजन इस कंपनी को बनना पड़ा। दो बार इस कंपनी कानून में उसी आधार पर परिवर्तन भी हुए। एक बार तो इस कंपनी कानून में परिवर्तन तब हुआ जब इस की जांच करानी थी और जांच कराने के लिए उन्होंने कहा कि केवल कंपनी कानून में शेयर-होल्डर्स की सुरक्षा ही नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक हितों की सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक तो कंपनी कानून में परिवर्तन तब हुआ और दूसरा परिवर्तन तब हुआ जब कि यह तय हुआ कि जो कंपनी के कुछ कर्मचारी उस से संबंधित भेद दें भले ही वह उसी प्रकार के भ्रष्टाचार के दोषी क्यों न हों, उन के खिलाफ़ सरकार से बिना पूछे कोई कार्यवाही न हो। एक इस प्रकार का निर्णय लिया गया। यह कम्पनी कानून में दो परिवर्तन हुए। लेकिन जो पहला परिवर्तन हुआ उस के बाद श्री एस० पी० चोपड़ा को कंपनी कानून के हिसाब से एक इंस्पेक्टर मुकरर किया गया इस बात के लिए कि वह वेनेट कोल मेन कंपनी की जांच करे कि इस के अन्दर कितना गोलमाल है। श्री एस० पी० चोपड़ा के संबंध में बाद में सुना यह गया कि वह शेयर-होल्डर्स के प्रतिनिधियों से मिल गए जिस के संबंध में कई एक आरोप लगाये गए लेकिन इतना होने के बावजूद भी उन्होंने करोड़ों रुपये के शबन, जालसाजी और गोलमाल के केस बनाकर सरकार को दिए। मगर इतना सब होने के बाद भी जो बात में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ वह यह कि सरकार उन तमाम बातों को दबाये हुए क्यों बैठी रही? इस का कारण मुझे ऐसा मालूम होता है और जो सरकार पर मैं विशेष रूप से आरोप भी लगाना चाहता हूँ कि इस के दो कारण थे। एक कारण तो यह था कि श्री चोपड़ा ने जितने भी थोड़े बहुत केसेज निकाल कर सरकार को दिए थे वह करोड़ों रुपये के होते हैं उर्मी आधार पर अगर क्रिमिनल कोर्ट में केस चला दिया जाता तो श्री शानी प्रसाद जैन को मजा अवश्य भुगतना पड़ता। दूसरा यह था कि किर्मा भी कंपनी के वह डायरेक्टर नहीं

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हो सकते थे, उस के सर्वथा अयोग्य वह घोषित कर दिए जाते। यही दो कारण हैं जिन के आधार पर सरकार में और शांति प्रसाद जैन में एक समझौता हुआ और जानबूझकर सरकार उन को बचाती रही। उस के साथ साथ एक दूसरा काम यह भी किया कि सरकार शांति प्रसाद जैन को इस बीच में बराबर दूहती भी रही। दूहती रही शब्द का मैं जानबूझ कर उपयोग कर रहा हूँ। कांग्रेस के चुनाव फंड में उन से रुपया लिया गया। जनहित निधि ट्रस्ट जो कि अप्रत्यक्ष रूप से कुछ देश के प्रमुख समाचार-पत्रों को चलाता है और जिस के साथ, पिछले अधिवेशन में जैसा मैं ने कहा था प्रधान मंत्री का भी संबंध है, उस को लाखों रुपया शांति प्रसाद जैन ने दिया। विधि मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय इस बात को जानता होगा कि उन के माध्यम से कितना रुपया शांति प्रसाद जैन का आया। मेरे पास कोई स्पष्ट आंकड़े नहीं हैं लेकिन यह बात इस के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब सारे प्रमाण सरकार के पास मौजूद थे तो सरकार उस समय कोर्ट में क्यों नहीं गई? इस से लगता है कि सरकार और शांति प्रसाद जैन के बीच में कोई गुप्त समझौता हुआ था। मेरा अनुमान यह है कि करीब 1 करोड़ रुपया भिन्न भिन्न रास्तों से सरकार ने दूहा। सिराजुद्दीन के केस को हम बहुत गम्भीर केस मानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वेनेट कोल मैन कंपनी के मालिक श्री शांति प्रसाद जैन से मिल कर सरकार ने जो गोलमाल किया है सिराजुद्दीन का केस उस के मुकाबले में कुछ नहीं बैठता। अगर यह चीज नहीं है तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन राष्ट्र-पति के चुनाव के मत गिने जा रहे थे, विशेष रूप से रात्रि में जब कि अन्तिम मतदान की स्थिति आ गई थी उस समय कैबिनेट की एक विशेष बैठक हुई उस में निर्णय किया गया कि शांति प्रसाद जैन के साथ एक समझौता किया जाय वह विशेष समझौता क्या था? समझौता यह था कि एक बोर्ड आफ डायरेक्टर्स बनाया जाय जिस में

5 सरकार के नुमाइन्दे हों और चार नुमाइन्दे शांति प्रसाद जैन के हों और चैयरमैन भी शांति प्रसाद जैन का अपना लड़का हों। लेकिन जो बात में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ वह यह है कि उन नाजुक घड़ियों में जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो वह निर्णय इसलिए किया गया था कि अगले दिन कोर्ट की बैठक होने वाली थी, तारीख लगी हुई थी फिर वह निर्णय कोर्ट के अन्दर क्यों नहीं दिया गया? इस में एक रहस्य है। पहली बात यह है कि वह जो पांच डायरेक्टर्स सरकार मुकदर कर रही थी तो सरकार लोगों की आंखों में यह धूल झांकना चाहती थी कि शांति प्रसाद जैन के मय चैयरमैन के चार डायरेक्टर रहेंगे और हमारे पांच रहेंगे, लिहाजा बहुमत सरकार का रहेगा। लेकिन अन्दरखाना सरकार का यह समझौता शांति प्रसाद जैन के साथ हो चुका था कि वह जो पांच सरकार के रहेंगे वह पांच भी शांति प्रसाद जैन से पूछ कर रखे जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, श्री फकरुद्दीन अली अहमद यहां मौजूद हैं, कैबिनेट के उस निर्णय की प्रोसीडिंग्स वह सभा पटल पर रखें और बताएं कि वह पांच व्यक्ति कौन कौन थे? क्या उन में दो उद्योगपतियों के प्रतिनिधि नहीं थे, क्या एक उन में एक मोदी इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधि नहीं था? मैं आप से कहना चाहता हूँ कि अगले दिन जो निर्णय नहीं दाखिल किया गया वह केवल इसलिए नहीं दाखिल किया गया कि शांति प्रसाद जैन इस बात पर सरकार से सहमत नहीं थे कि इस पांच में मेरे दो ही प्रतिनिधि क्यों रखे जाय वह चाहते थे कि उस पांच में दो सरकार के हों और तन उन के हों। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से शांति प्रसाद जैन कम्पनी के ऊपर अधिकार करना चाहते थे और इसी आधार पर क्यों कि शांति प्रसाद जैन और सरकार के अन्दर समझौता नहीं हो सका इसलिए वह समझौता इतने नाजुक क्षणों में होने के बावजूद भी कोर्ट के अन्दर दाखिल नहीं किया गया।

अब दूसरी बात जो विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ यह यह कि जो समाजवादी

आख मिचौनी चलती रही सरकार और शांति प्रसाद जैन के बीच में उस का नतीजा यह रहा कि जब कोर्ट ने सरकार के वकील से यह पूछा कि आप का और इन का कोई समझौता हुआ है तो उस ने कहा नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब 27 तारीख को यह निर्णय हो गया था तो उस निर्णय को कोर्ट को क्यों नहीं दिया गया ? सरकारी वकील ने कहा कि कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि शांति प्रसाद जैन ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया और एफिडेविट देने के बाद यह कहा कि हमारा और सरकार का समझौता हो गया है। लेकिन उस के बाद जब शांति प्रसाद जैन को समझौता नहीं भेजा गया या शांति प्रसाद जैन और सरकार दोनों एक निर्णय पर नहीं पहुँच पाए तो फिर आर० प्रसाद जो कि इस मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक पत्र लिखा शांति प्रसाद जैन को जो उन का पत्र राज्य सभा के अन्दर प्रस्तुत किया गया है। मैं उसे पढ़कर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता सदन का लेकिन वह पत्र इस प्रकार का है कि उस से आप को पता लग जायेगा कि सरकार किस तरह की रहस्यमय भाषा में पत्र लिखती है ताकि दूसरे पकड़ भी न सकें और जो कंसन्ड व्यक्त हैं उन को सरकार की सारी भावना पहुँच भी जाय। तो इस प्रकार की स्थिति थी।

इस का परिणाम क्या हो रहा है ? अब तक इस सरकार के ऊपर यह आरोप था कि यह सरकार रेडियो को ही अपने हितों में प्रयोग करती है लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार इस देश के समाचार-पत्रों की जो स्वतंत्रता है उस पर भी हाथ डालना चाहती है और इसलिये जो समाचार-पत्रों के मालिक हैं उन के साथ गुप्त समझौते करती है। इन का समझौता यह है कि समाचार-पत्रों को जो इंडस्ट्री मान कर चल रहे हैं इस की ज्यादा आमदनी तुम खाओ, थोड़ा बहुत हम को भी देते रहो और माटों की तरह हमारा प्रचार भी करते रहो। यह समझौता उन के और सरकार के बीच में हो गया है। इस का परिणाम यह हुआ कि इन समाचार पत्रों के अन्दर जो निर्भीक

और निष्पक्ष पत्रकार हैं उन की आत्मा आज घुट रही है। मैं इसी कम्पनी के कई पत्रकारों को जानता हूँ जिन की निष्पक्षता और निर्भीकता पर कोई सन्देह नहीं किया जा सकता लेकिन आज वह दुखी हैं कि सरकार के और शेर-होल्डर्स के इस प्रकार के आपस के गठबन्धन से प्रागे क्या परिणाम होगा। होना यह चाहिए था कि सरकार निर्णय लेती कि इन की प्रबन्ध व्यवस्था के लिए सरकारी प्रभावों से मुक्त एक ट्रस्ट का निर्माण हम करते हैं और उस की नीतियों का निर्धारण करने के लिए हम एक ट्रस्ट का निर्माण करते। लेकिन सरकार इस प्रकार के किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार इसी प्रकार से चलती रही तो कहीं लोगों में यह भावाज्ञ न उठनी शुरू हो जाय जैसे रेडियो में सरकार पक्ष के प्रचार को देख कर और सरकार में भी एक विशेष पक्ष के प्रचार को देख कर उसे जिस तरह से आल इंडिया रेडियो की बजाय आल इंदिरा रेडियो कहने लगे हैं कहीं ऐसा न हो कि इस कंपनी के पत्रों के संबंध में भी टाइम्स आफ इंडिया को टाइम्स आफ इन्दिरा जनता कहने लग जाय। इसलिए आवश्यक है कि इस प्रकार की बातों को बचाया जाय।

समय की बचत की दृष्टि से अब मैं कुछ प्रश्न पढ़ कर मुना देता हूँ। पहला प्रश्न मेरा यह है कि जब स्पष्ट रूप से करोड़ों रुपय की जाल साजी और गबन सिद्ध हो गया था तो सरकार साठे छः साल तक क्यों इस केस को दबाये बैठी रही, क्रिमिनल केस क्यों नहीं चलाया अथवा जो मंत्री इस क्राइम के लिए दोषी थे उन पर क्रिमिनल केस क्यों नहीं चलाया गया ? सच्चाई यह है, समय आने पर मैं नाम भी बताऊंगा कि इस सारे कांड के अन्दर ऐसे ऐसे लोग भी दोषी हैं जिन्होंने सदाचार समितियों की स्थापना की। इस प्रकार के लोग भी इसमें दायी हैं।

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

दूसरी बात यह है कि समझौते की पहल किसने की, सरकार ने अथवा स्वयं शांति प्रसाद ने ? अगर शांति प्रसाद जैन ने की तो सरकार को पता था कि शांति प्रसाद जैन पर यह आरोप है, फिर सरकार ने उनके समझौते में पहल को क्यों माना ? उस को मानने से इन्कार क्यों नहीं कर दिया ? क्या यह सच है कि साढ़े छः साल तक जो चीज चलती रही, इस में कुछ उच्च विधिवेत्ता, विधि मंत्रालय के अधिकारी भी सम्मिलित हैं, जिनकी सांठ गाठ इस मामले में है, जिसकी वजह से साढ़े छः साल तक क्रिमिनल केस दायर नहीं हो सका ?

इन साढ़े छः सालों में चाहे जनहित निधि ट्रस्ट के लिए लिया गया हो या सरकार के किन्हीं मंत्रियों के लिए जो अखबार चलाते हों या चुनाव फण्ड के लिए लिया गया हो, साहू जैन से कितना रुपया सरकार ने दूहा इस की लिस्ट रखनी चाहिए ।

चौथा प्रश्न यह है कि जब बम्बई हाई कोर्ट में श्री शांति प्रसाद जैन ने अपना शपथ-पत्र दाखिल किया कि वे हाई कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करेंगे तो उसके बाद हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जो अपील इन्होंने की है, क्या केन्द्रीय मंत्रियों ने कुछ ऐसा आश्वासन दे दिया है कि यहां तो हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सके, आगे चलो तो वहां हम तुम्हारी मदद करेंगे ?

सरकार की सीदेबाजी का कम्पनी के समाचार-पत्रों की आत्मा पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए क्या उपाय किया गया है ?

अन्तिम प्रश्न यह है कि कैबिनेट का जो निर्णय है (शब्दशः) और श्री एस० पी० जैन के साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ है— क्या सरकार उस को सभा के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

SHRI S. KUNDU (Balasore) : This matter has been brought before Parliament several times. We feel that some definite protection has been given

to Shri S. P. Jain and his company by the Government. There is a lot of evidence for it.

The enquiry and investigation carried on against this company under the Company Law Administration revealed a lot of malpractices by the Company. I would like to know whether any criminal case has been started, and if so where it has been started, if not why not.

When the case was pending before the High Court, there was some talk of settlement. It is something astounding to know that when there were such serious allegations there should be talk of settlement even of a temporary nature. It is revealed from the letter of Shri R. Prasad, Secretary to the Government of India, written to Shri S. P. Jain that there are three terms. The third was about the employees who had assisted the Government in the investigation. Shri S. P. Jain and the company did not agree to this and therefore it was agreed by the Government not to pursue this as a clause of settlement. You must want to completely throw to the wolves the people who had given evidence. This is how the Government functions.

We are informed that during the AICC session at Delhi of the Indira faction of the Congress the private plane of Sahu Jain was used very frequently. I speak subject to correction. I would like to know if it is not a grave irregularity to use the private plane of Sahu Jain during the AICC session when this matter is before the Supreme Court and there have been grave allegations against the Government's involvement with Shri S. P. Jain and when there has been a demand in the Lok Sabha that his son should not be made the Chairman.

श्री शिव चन्द्र झा : सभापति जी, मेरा पहला सवाल यह है कि हम लोगों ने कल जो विधेयक पास किया है—एकाधिकार तथा निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा विधेयक-उस के मुताबिक बैंट-कोलमैन-कंपनी की जो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसज हैं, कृपया उन के 10 उदाहरण दीजिए ।

सरकार की तरफ से या सरकार की संस्थाओं की तरफ से बैंट कोलमैन कंपनी को आज तक कितनी फाइनेन्शियल हेल्प मिली है, उस का सम-टोटल बताइये ?

तीसरा सवाल—चूँकि यह कंपनी अखबार भी चलाती है, इस लिए प्रेस-स्वतंत्र्य की बात आ जाती है । मैं यह नहीं मानता कि सरकार के अर्न्तगत आ जाने से प्रेस की फ्रीडम खत्म हो जायेगी, मैं तो प्रेस के नेशनलाइज्ज करने में विस्वास रखता हूँ 10 हजार से ऊपर जिसका भी सर्कुलेशन हो, उस को नेशनलाइज्ज करना चाहिए । इस के सम्बन्ध में मेरा विधेयक भी पेश हो चुका है । कम से कम प्रेस स्वातन्त्र्य की रक्षा के ख्याल से आप उनके जितने अखबार हैं, क्या उन को नेशनलाइज्ज करेंगे ।

श्री रवि राय (पुरी) : सभापति महोदय मैं सब से पहले शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस सवाल को यहां पर उठाया । साहू-जैन के सिल सिले में हम लोगों ने कई बार इस सदन में सवाल उठाये हैं । जिस तरह के गबन, मिसएप्रोप्रियेशन साहू जैन कम्पनियों में चल रहे हैं आप सब लोग जानते हैं और जिस तरीके से शास्त्री जी ने इस को उठाया है कैसे इन्दिरा गांधी जो कि सरकारी सेठ है और एस० पी० जैन जो व्यापारी सेठ है उन दोनों में कैंसी सांठ गांठ चलती है, किस तरह से देश की आर्थिक व्यवस्था को ये लोग तहस-नहस करते हैं सब स्पष्ट हो गया है । इस सदन में एक बार पहले इस बारे में जब यह बहस चली थी, तब प्रमाण के स्वरूप यह कहा गया था कि सरकारी वकील ने बम्बई की हाई कोर्ट के सामने

यह माना था कि एस० पी० जैन के लड़के अशोक जैन को शायद इस कम्पनी का चैयरमैन बनाया जायेगा मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस के बारे में खुलासा करें ।

दूसरा प्रश्न—जो नया बोर्ड बना है, क्या इस में वर्किंग जर्नेलिस्ट्स या जो वैनैट कोलमैन कम्पनी के एम्पलाइज्ज हैं, उन का कोई प्रतिनिधि इस बोर्ड में लिया गया है ?

श्रीछोगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा सनवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अलो अहमद) : जनाब, शास्त्री जी ने जो बातें सदन के सामने रखीं, मैंने बड़े गौर से उन को सुना और उन का कहना बिलकुल ठीक है कि श्री चोपड़ा ने जो रिपोर्ट दी थी उस के जरिये बहुत सारी ऐसी बातें जो कि पहले इस कम्पनी को नहीं करनी चाहिए थी, वे जाहिर होती थीं । लेकिन उन का यह ख्याल गलत है कि श्री चोपड़ा की रिपोर्ट पर हमने कोई कार्यवाही नहीं की । मैं सबसे पहले यही बतलाना चाहता हूँ कि श्री चोपड़ा की रिपोर्ट के आने के बाद हम ने तीन कार्यवाहीयां की हैं । एक तो यह कि हम ने सी० बी० आई० को मिनस्ट्री की तरफ से कम्प्लेंट लिख कर भेजी ताकि वे इस में क्रिमिनल केस के मुताल्लिक कार्यवाही शुरू करें । यह मामला 1964 में उन को दे दिया गया था । सी० बी० आई० ने इस पर कार्यवाही की और अभी एक चार्ज शीट उन्होंने बम्बई के एडीशनल चीफ प्रेजिडेंसी मैजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल किया है । सी० बी० आई० ने पूरी इन्वेस्टीगेशन करने के बाद जुलाई में यह केस फाईल किया और इस तरह से उन के खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है ।

उस के बाद जहां तक कम्पनी डिपार्टमेंट का ताल्लुक है इस मामले के मुताल्लिक जो भी कार्रवाई हम कर सकते थे हम ने की । एक काम तो हमने यह किम्मा कि इस का जो मैनेजमेंट है, उसको बदला जाय—यह कार्यवाही हमने 398 के मातहत की । दूसरी कार्यवाही 388 (बी) के मातहत की

[श्री फकरूद्दीन अली अहमद]

—जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट है उन के बारे में कोर्ट यह करार दे कि वे किसी भी कम्पनी के डायरेक्टर वगैरह न रह सकें। ये दोनों बातें हमने उस वक्त जो ट्रिब्यूनल था, उस के सामने दाखिल की। आपको शायद मालूम हो पहले यह ट्रिब्यूनल दिल्ली में था, उस के बाद हमने उस का जूरिस्डिक्शन बदल कर हाई कोर्ट को दिया। जहां तक 388 का ताल्लुका है, उसमें हमारी वजह से कोई देरी नहीं हुई। वहां जो हमने दरखास्त दी थी, उस के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में एस०पी० जैन ने रिटपेटिशन दाखिल की इस किस्म की प्राइमा फेसी एविडन्स नहीं है और इस किस्म के इन्क्वायरी कोर्ट को नहीं करनी चाहिए। हाई-कोर्ट के सिगिल जज ने उनकी पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अब उन्होंने उस पेटिशन के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर रखी है। तो उसमें सन् 64 से लेकर अब तक के लिए आप यह नहीं कह सकते कि हमारी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिए देरी हो रही है बल्कि हमने अलियस्ट पासिवल अपार्चुनिटी पर कोर्ट में कार्यवाही की और अभी तक जारी है। 388 का केस जो है वह कलकत्ता हाई-कोर्ट में पेंडिंग है। जब वहां से रिट पेटिशन डिस्पोज आफ होगा तो यह केस जो यहां दिल्ली में है वह बम्बई में जायेगा।

जहां तक 398 का ताल्लुक है उसमें यह था कि जो मैनजमेंट है वह बदल देना चाहिए उसमें आप देखें कि जो दरखास्त है वह सन् 64 से अदालत के सामने पड़ी हुई है। जनवरी या फरवरी में

SHRI S. KUNDU : In 1964, your lawyers had not effectively argued your case on your behalf : not that they have effectively defended your case. In July, 1969, you find the CBI report.

SHRI F. A. AHMED : Let me give the facts. So far as I am concerned, I am only the complainant.

श्री रवि राय : सी० बी० आई० इन्क्वायरी को 6 साल लग गए।

श्री फकरूद्दीन अली अहमद : तो मैं आपसे कह रहा था कि हमने वह दरखास्त दी, सी० बी० आई० ने भी लीगल ओपीनियन ली, और तमाम एविडन्स लेकर जब देखा कि कैसे चल सकता है

SHRI RABI RAY : Justice delayed is justice denied.

SHRI F.A. AHMED : I have given you the facts. What I am saying is it is not that we have not taken, any action. Here, the charge was that in spite of the report submitted by Chopra, the Government have not, moved at all. But what I have said is as soon as the report was received by us, we have taken action as long ago as 1964. In so far as the appeal before the Calcutta High Court is concerned, it is pending, and how can we be blamed if it has not been disposed of and the case allowed to go on ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सन 63 से चोपड़ा साहब की रिपोर्ट आपके पास है और अब दिसम्बर, 1969 है। जिस काम को आप करना चाहते हैं करते हैं। कैबिनेट ने बैंक नेशनलाइजेशन का निर्णय लिया तत्काल राष्ट्रपति का आर्डिनेन्स जारी हो गया। लेकिन जिस काम को आप नहीं करना चाहते हैं उसके लिए सी० बी० आई० भी है और दूसरे भी हैं। 1963 में शुरू हुआ और अब 1969 हो गया।

श्री रवि राय : यह न आप के हित में है और न देश के हित में है। यह तो साहू जैन का मामला है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं आपसे दस्तबस्ता भ्रज करूंगा कि जहां तक गर्वनमेंट का ताल्लुक है, गर्वनमेंट ने जितनी जल्दी हो सकता था इसमें कार्यवाही शुरू की। हमने कम्प्लेनेन्ट की हैसियत से दर्खास्त दी लेकिन जब तक मामला कोर्ट में जाता है, इन्वेस्टिगेशन में कोई मामला जाता है तो आप जानते हैं (ब्यवस्थान)

SHRI S. KUNDU: If you cannot satisfy us, you can satisfy yourself. But if your lawyers had come out with a petition for expeditious hearing, the thing would have been disposed of.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमारे लाईयर ने बहुत दफा दर्खास्त दी कि बहुत जल्दी इसको डिस्पोज भ्राफ करने के लिए कार्यवाही की जाये लेकिन जो बैच है उसके पास वक्त नहीं है या क्या बात है कि उसके ऊपर केस चलता रहा और जब केस आया तो एक एक विटनेस को एग्जामिन करने में कई कई दिन लगे। अब तक इस मामले में हम तो कुछ कह नहीं सकते कि आप गवाही मत लीजिए या इसको बन्द कर दीजिए। यह बात जरूर है कि 64 से लेकर अब तक इसमें इतनी देर हुई (ब्यवस्थान) जहां तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, हमने देखा कि इससे अखवार को भी नुकसान पहुंच रहा है और मैनेजमेंट भी खराब हो रहा है। तो शेयर-होल्डर्स ने खुद कोर्ट के सामने दर्खास्त की इस साल के जनवरी के शुरू में कि क्रैस खत्म होने से पहले जिस तरह से भी मैनेजमेंट के मुताबिक कोर्ट फैसला करेगी वह हम मानने के लिए तैयार हैं। शेयर-होल्डर्स ने वहां पर यह दर्खास्त दी और हमको जब मालूम हुआ तो हमने भी कोर्ट में कहा कि हम भी कोर्ट का जुरिस्टिक्शन मानने के लिए तैयार हैं, वगैर केस का फैसला हुए इसका मैनेजमेंट किस तरह से बदलना चाहिए क्या होना चाहिए, यह बात कोर्ट तब तयकर सकती है। लेकिन उस वक्त कहा गया कि बहुत

सारे रेस्पांडेंट्स जो थे जब तक तमाम पार्टिज एग्नी नहीं करती तब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी इस तरह से फिर हमने कहा कि आपस में बैठ कर अगर कोई काम्प्रोमाइज हो सकता है मैनेजमेंट के मुताबिक तो कम प्रोमाइज पेटिशन दे दें और कोर्ट उस पर कर दे। इस तरह से हमने तीन चार महीने तक डिस्कशन किया। हमारे चार प्रोपोजल थे। गर्वनमेंट का कोई शेयर नहीं है लेकिन चूंकि मैनेजमेंट के मुताबिक बहुत सारी शिकायतें थीं, हमने कहा कि ऐसा बोर्ड बनाया जाये जिसमें गर्वनमेंट के नामिनीज की तादाद ज्यादा हो और जो शेयरहोल्डर्स की तरफ से नामिनीज बिये जाये उन्में वे लोग न हों जिनके खिलाफ केस चला रह्य - यानी शांति प्रसाद जैन, आलोक प्रसाद जैन और रामानन्द जो पहले डायरेक्टर थे जिनके खिलाफ चल रहा था। शेयरहोल्डर्स दूसरे नाम दे सकते हैं। दूसरी बात यह थी कि बहुत सारे एम्पलाइज जिन्होंने गवाही दी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो। उनको प्रोटेक्सन मिलनी चाहिए। इसके अलावा वे जो मैनेजमेंट हो वह 5-6 महीने के लिए न हो बल्कि दो तीन साल तक चले। तो इसके ऊपर जो बातें हुई उसके लिए कई मीटिंग्स हुई। उसके बाद 27 तारीख को आखिरी मीटिंग हुई। उसमें इस बात पर फैसला हुआ कि हमारे पांच डायरेक्टरस होंगे और उनके 4 डायरेक्टर होंगे। इस बात पर भी फैसला हुआ कि उनके चार डायरेक्टरस में वे लोग नहीं होंगे जो कि केस में रेस्पांडेंटस हैं। यह भी फैसला हुआ कि बोर्ड तीन साल के लिए बनाया जायेगा। उन्होंने हमसे हमारे नाम पूछे तो हमने उनको नाम दे दिए। हमारे नामों पर कोई डिस्कशन और एतराज नहीं हुआ। उन्होंने हमारे नाम मान लिए। फिर उन्होंने अपने नाम दिए। हमने जब देखा कि तीनों बॉ रेस्पोडेंट्स के नाम नहीं हैं तो हमने उनको मान लिया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आपके नाम कौन से थे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमारे नाम में एक तो कुमारमंगलम् सहाब थे, दूसरे हजारे सहाब थे, तीसरे त्रिवेदी सहाब थे, चौथे हाक्सर सहाब और पांचवे नाग सहाब ।

श्री रवि राय : इसमें बकिंग जर्नलिस्ट्स और एम्पलाइज का कोई नहीं है ।
(व्यवधान) ये हाक्सर सहाब कौन हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इम्पीरियल टोबैको कं.के चेयरमैन । (व्यवधान)

SHRI S. KUNDU : Had you no clarification this, people would have thought that it is the other Haksar.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : We would have thought of the family man !

श्री रवि राय : अगस्त के सत्र में हमने आपसे आग्रह किया था कि आपके जो नुमाइन्दे हों उसमें बकिंग जर्नलिस्ट्स और कर्मचारियों का प्रतिनिधि भी होना चाहिए लेकिन आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : अगर देखा जाये तो हजारे सहाब जो हैं वह उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं । (व्यवधान) हमने जो नाम सजेस्ट किए वह इस बात को देख कर कि जो आप मने इंटे प्रिटी, मैन आफ एक्स्पिरिएन्स एन्ड फेमस इन अदर फील्ड्स आफ एक्टिविटीज हों (व्यवधान)

श्री पीलू मोदी : उनके नाम कौन थे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि वह चीज जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं है । क्योंकि कोर्ट ने अपने कुछ नाम दिए और कोर्ट ने हमारे नाम लिये । कोर्ट न जो किये वह हैं : श्री के. टी. देसाई-चेयरमैन श्री एस. एम. धानुकर, श्री के. एस. इंजीनियर श्री जी. वी. देशाई और श्री जी. डी. पारेख । वे कोर्ट ने एप्वाइन्ट किए हैं । और हमने जो पांच

नाम दिये उसमें श्री आर. के. हजारे, श्री एस. एम. कुमारमंगलम् और श्री एच. एम. एम. त्रिवेदी तीन नाम लेकर नामिनेशन कर दिया ।

SHRI S. KUNDU : Why did you want Ashok Jain to become the Chairman ?

श्री रवि राय : यह सवाल उठा था कि एस. पी. जैन के कौंसल ने हाई कोर्ट में कहा था कि आप ने खुद साहू जैन को बुला कर कहा था कि , आप के लड़के को चेयरमैन बनायेंगे इस का खुलासा किया जाय ।

SHRI S. KUNDU : It is said here :

“The question of chairmanship of the reconstituted Board of Directors was not specifically discussed at this meeting, though in the earlier proposals, Shri Ashok Kumar Jain was envisaged as Chairman ”.

श्री रवि राय : इस का खुलासा होना चाहिए ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : बैठिये, मैं सब बातों का जबाब दे रहा हूँ । उस वक्त शेअर-होल्डर्स की तरफ से कोर्ट ने डायरेक्टर्स दिये श्री मौलि चन्द्र वर्मा, श्री नरेन्द्र कुमार और डा० एल० एम० सिधवी । आप ने देखा कि 11 आदमियों का कोर्ट बना

श्री प्रकाशबोर शात्री : डा० सिधवी ने रिजाइन कर दिया ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : उस के बाद चूंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने अशोक जैन को उन की जगह बनाया । कोर्ट ने पहले ही उन का नाम लिया था । 11 आदमियों का कोर्ट बना जिस में 3 हमारे थे, 5 कोर्ट के थे और 3 शेअर-होल्डर्स के थे । दीजिए आर दी फैक्ट्स । दूसरा सवाल यह है कि जहां तक आप ने कहा कि हम ने मंजूर कर लिया । तो हम ने कहा था एन्विसाज । एन्विसाज का मतलब यह नहीं है कि

That was the proposal given by them. But in the discussion held on 27th, they did not pursue this matter. We have not accepted this. On 27th that matter was not discussed.

SHRI S. KUNDU : There was an earlier proposal to which you never objected.

SHRI F. A. AHMED : How do you know that we have not objected ?

“Envisaged” does not mean that we accepted it.

श्री रवि राय: यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस के लिए कुछ समय बढ़ा दीजिये ।

श्री फखरुद्दीन अली ग्रहमद : यह पोजीशन है । मेरे खयाल से जो एक चार्ज गर्वनमेंट के खिलाफ लगाया जा रहा है कि गर्वनमेंट ने ऐसा किया वह ठीक नहीं है । जहां तक कैबिनेट

क फैसले का सवाल है, मैं श्री शास्त्री को बतलाऊं कि यहां कैबिनेट के फैसलों को रखने का दस्तूर नहीं है नहीं तो मैं उस को रख देता । लेकिन जहां तक कैबिनेट का ताल्लुक है, मैं यकीन दिलाता हूं कि उन्होंने न तो नाम डिस्कस किया और न पर्सन डिस्कस किए । उन्होंने जनरल प्रिंसिपल मान लिया कि मैजस्ट्री आफ डायरेक्टरस हमारे होने चाहिये और तीन बरस के लिये होने चाहिये और गर्वनमेंट एम्प्लाइज को प्रोटेक्शन होना चाहिये ।

SOME HON. MEMBERS rose—

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

18.33 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Saturday, December, 20, 1969/Agrahayana 29, 1891 (Saka).